सतना | शनिवार | 31 जनवरी 2026 | वर्ष 27 | अंक 149 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

हादसों में गई 6 की जान

क्रेन की मदद से शवों को निकाला, घने कोहरे के कारण हुआ हादसा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर. सुबह घने कोहरे के बीच शुक्रवार को भिंड रोड हाइवे पर बंटू ढाबा के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र में हादसे में दो युवकों की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा निवासी मेहगांव (भिंड), ज्योति यादव (भिंड), भूरे प्रजापति (गोरमी) भिंड और उमा राठौर पत्नी पति राम राठौर, निवासी मोरोली भिंड के रूप में हुई है. सौरभ बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने आगरा जा रहा था. कार उसके भाई की है. रास्ते में उसे ग्वालियर के लिए सवारी मिल थी, उसकी भी हादसे में मौत हो गई. सौरभ के भाई अंकित ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे सौरभ घर से निकला था. कोहरे की वजह से सुबह ग्वालियर में विजिबिलिटी

200 से 500 मीटर तक थी. ज्योति की बहन नीलम यादव ने बताया कि हमें सुबह सूचना मिली थी कि मालनपुर में एक्सीडेंट हुआ है. कार में मेरी बहन भी आ रही थी. उसे मथुरा जाना था, इसलिए वह गोरमी से निकली थी. उसके 2 बच्चे हैं. वह अकेली घर से निकली थी.

हादसे के बाद भिंड रोड पर यातायात रहा ठप

कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक बेकाबू होकर झाड़ियों में जा घुसा. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटना की जांच जा रही है. हादसे के बाद भिंड रोड पर यातायात ठप हो गया.

इधर, बालाघाट में दो बाइक सवारों की मौत

बालाघाट. किरनापुर थाना अंतर्गत परसवाड़ा क्षेत्र के देवगांव नदी के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. सुबह 11 बजे हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की भिड़ंत से बाइक सवार दोनों युवक सड़क से दूर जा गिरे. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को तत्काल उपचार के लिए किरनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

चुन-चुन कर निकालेंगे घुसपैठिए

घुसपैठियों की संख्या शून्य से बढ़कर 64 लाख तक पहुंच गई : शाह

गुवाहाटी/डिब्रूगढ़, 30 जनवरी. असम में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है. धेमाजी जिले के करेंग चापोरी में आयोजित मिसिंग यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह में शाह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान अवैध घुसपैठ के कारण राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना में बड़ा बदलाव आया.

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की संख्या शून्य से बढ़कर 64 लाख तक पहुंच गई और सात जिलों में वे बहुमत की स्थिति में आ गए. शाह ने इसे असम की पहचान और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने राज्य में अतिक्रमण हटाने, भूमि मुक्त कराने और सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ाने जैसे

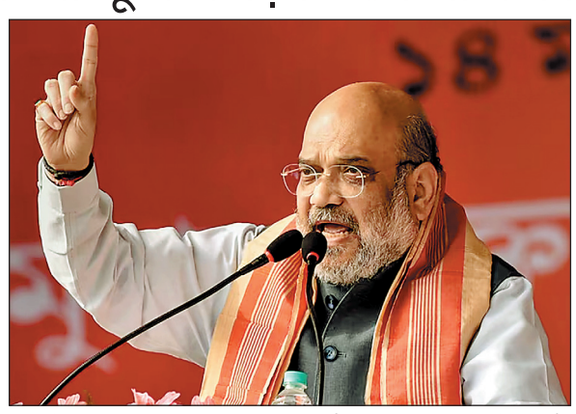

प्रयासों का भी जिक्र किया. साथ ही, आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन देने की अपील की, जिससे घुसपैठ की समस्या से निर्णायक तरीके से निपटा जा सके. शाह ने मिसिंग समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जीवनशैली ने ऊपरी असम में बाहरी बसावट को सीमित रखा है. शाह ने अपने संबोधन में कहा कि असम में घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा है. उनके अनुसार, कांग्रेस के शासनकाल में सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को लेकर ढिलाई बरती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य में बस गए. शाह ने दावा किया कि इस वजह से असम की डेमोग्राफी प्रभावित हुई और सात जिलों में सामाजिक संतुलन बदल गया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है. गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में भाजपा की लगातार दो सरकारों के दौरान घुसपैठियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से 1.26 लाख एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है. उन्होंने इसे प्रशासनिक इच्छा शक्ति का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. शाह ने कहा कि अगर असम में घुसपैठ को पूरी तरह रोकना है, तो भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनना होगा.

> शाह ने मिसिंग समुदाय का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी मेहनतकश जीवनशैली और सांस्कृतिक मजबूती के कारण ऊपरी असम में घुसपैठिए स्थायी रूप से बस नहीं पाए. उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी पहचान और परंपराओं को सशक्त बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है. साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में कई आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

एक नजर में

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा

नई दिल्ली. अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक शनिवार को एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा. शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं. एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चा चल रही है कि ये विभाग और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाए.

मुख्यमंत्री आज रीवा में

रीवा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 जनवरी को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे. मुख्यमंत्री दोपहर एक बजे गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समारोह में भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण करेंगे. गुढ़ के समीप ग्राम खामडीह में भैरव बाबा की विशाल प्राचीन प्रतिमा है. यह प्रतिमा दुर्लभ शयन मुद्रा में है. स्थापत्य की दृष्टि से इसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में किया गया.

भारत-यूरोपीय संघ समझौता देश के हितों की करता है रक्षा : मोदी

नई दिल्ली, 30 जनवरी (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में हुआ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन से मेल खाता है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया.

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस समझौते के बारे में लिखे गए लेख को साझा करते हुए यह बात कही है. पीएम ने यह पोस्ट गोयल के पोस्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी. गोयल ने इस पोस्ट में भारत-ईयू समझौते के बारे में लिखे अपने लेख को साझा किया है. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार ने एक ऐसा परिवर्तनकारी समझौता किया है, जो बाजारों का विस्तार करता है.

अरविंद जोशी की ईडी ने संपत्ति की कुर्क

भोपाल, 30 जनवरी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी की 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की. भोपाल लोकायुक्त की टीम ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

संविदाकर्मियों की भूमिका हनुमानजी के समान

संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 30 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संविदाकर्मियों के श्रम और विश्वास पर ही राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हो रही है. संविदाकर्मियों की भूमिका हनुमान जी के समान है. आपके श्रम और साझेदारी ने ही शासन-प्रशासन की व्यवस्था बनाई रखी है.

संविदाकर्मी अनुबंध से अवश्य आते हैं, किन्तु व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट भूमिका

निभाते हैं. स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय या तकनीकी सेवाएं मैदानी स्तर पर सर्वे, मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन में संविदा भाई-बहन हर जगह व्यवस्था के भरोसेमंद स्तंभ बनकर खड़े हैं. संविदाकर्मियों ने जिस निष्ठा से काम किया है, उसने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा पद से बड़ी है. संविदाकर्मी राज्य सरकार का कार्यबल ही नहीं, हमारा आत्मबल भी हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को टीटी नगर दशहरा मैदान में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित मप्र संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारी सरकार संविदा कर्मियों के अधिकारों के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ खड़ी है.

सुको का ऐतिहासिक फैसला | बंद करें ऐसे स्कूल, जो बेटियों को न दे सकें सैनिटरी पैड

लड़के-लड़कियों के अलग टॉयलेट हों

नई दिल्ली, 30 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया है. सुको ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं.

मामले में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल ऐसा नहीं कर सकती है, उन्हें बंद कर देना चाहिए. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में निहित जीवन के मौलिक

अधिकार का हिस्सा है.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में छात्राओं तथा छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी स्कूलों को, चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हों या सरकारी नियंत्रण में हों, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराने होंगे.

सुको ने कहा, मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है. अदालत ने कहा कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

2024 में लगाई गई थी याचिका

शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर, 2024 को जया ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसमें स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी केंद्र सरकार की नीति को कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की मांग की गई थी.